भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 489**
23.07.2025 को उत्तर देने के लिए

अप्रयुक्त एमपीएलएडीएस निधि

489. श्री वरुण चौधरीः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने 17वीं लोक सभा के लिए हरियाणा राज्य के संसद सदस्यों की संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) निधि जारी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और यदि कोई लंबित है, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) अप्रयुक्त और जारी न की गई निधि को 18वीं लोक सभा के हरियाणा राज्य के संसद सदस्यों को आवंटित करने की समय-सीमा क्या है?

**उत्तर**

सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) और (ख) मंत्रालय ने 17वीं लोकसभा के लिए अंबाला को छोड़कर हरियाणा राज्य के सभी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सांसदों को एमपीलैड्स निधि पूरी तरह से जारी कर दी है । 17वीं लोकसभा के अंबाला निर्वाचन क्षेत्र के सांसद को वर्ष 2022-23 की पात्रता एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुसार नोडल जिले से अपेक्षित दस्तावेज़ प्राप्त न होने के कारण जारी नहीं की जा सकी। विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ग) 18वीं लोकसभा के वर्तमान सांसद (एमपी) के खाते में अप्रतिबद्ध शेष राशि स्थानांतरित करने की प्रक्रिया ई-साक्षी पोर्टल पर एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 10.5.1 में उल्लिखित प्रावधानों के तहत संचालित होती है। यह स्थानांतरण संबंधित नोडल जिला प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रस्तुत करने के अधीन है।

*****

**अनुबंध**

**{दिनांक 23.07.2025 को उत्तर देने हेतु लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 489 के उत्तर के भाग (क) और (ख) से संदर्भित अनुबंध।}**

**17वीं लोकसभा के लिए हरियाणा के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए एमपीलैड्स निधि की पात्रता और जारी करने की स्थिति**

| क्र. सं. | निर्वाचन क्षेत्र | पात्रता (करोड़ रुपये) | जारी निधि (करोड़ रुपये) | जारी करने हेतु लंबित (करोड़ रुपये) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | रोहतक | 17.00 | 17.00 | - |
| 2 | फरीदाबाद | 17.00 | 17.00 | - |
| 3 | करनाल | 17.00 | 17.00 | - |
| 4 | हिसार | 17.00 | 17.00 | - |
| 5 | गुडगाँव | 17.00 | 17.00 | - |
| 6 | कुरुक्षेत्र | 17.00 | 17.00 | - |
| 7 | सोनीपत | 17.00 | 17.00 | - |
| 8 | सिरसा (एससी) | 17.00 | 17.00 | - |
| 9 | भिवानी-महेंद्रगढ़ | 17.00 | 17.00 | - |
| 10 | अंबाला(एससी) | 12.00 | 7.00 | 5.00 |
| नोट 1: 17वीं लोकसभा में अंबाला निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सांसद की 18 मई 2023 को मृत्यु हो गयी। एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 10.4.3 के अनुसार वर्ष 2023-24 के लिए पात्रता लागू नहीं है। | | | | |
| नोट 2: एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुसार नोडल जिले से अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त न होने के कारण वर्ष 2022-23 के लिए 5.00 करोड़ रुपये जारी नहीं किए जा सके। | | | | |

*****